अपील संख्या : ...

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	40/2020 लक्ष्मीदेवी / सरकार	
20/7/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रशनगत आराजीयात जिन पर अपीलार्थीया के पति के हक़ में अवाप्ति होना दर्शाया है के मूल ख.न.1/1 के बटा नम्बर 401/1049, 402/1299 अंकित किये गये है जबकि अपीलार्थीया द्वारा मूल ख.न. 1/1 के ख.न.2 पर भी अपना अधिकार दर्शाया गया है किन्तु प्रथमदृष्टया इस खसरा नम्बर पर अपीलार्थीया का उसके पति के माध्यम से कोई अधिकार सिद्ध नही होता क्युकी उक्त खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर-2 मूलतः सिवायचक दर्ज रिकार्ड था या कालान्तर में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया है, का निर्णय मूल वाद में साक्ष्य साबुत के आधार पर होगा। अतः अपीलार्थीया की इस अपील के स्तर पर अपीलार्थीया का प्रथमदृष्टया प्रकरण सिद्ध न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/05/2018 यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थीया ख़ारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	